न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या –08 / 2025(प्रा०पत्र)

सरकार जर्ये पुलिस थाना मण्डाना जिला कोटा।

अभियोगी

बनाम

देवराज पुत्र बलराम निवासी मांदलिया जिला कोटा राज०

प्रतिपक्षी

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 105 / 2025 थाना मण्डाना जुर्म अन्तर्गत 5, 6, 8राजस्थान गोवंशी पशु (वध का प्रतिशेध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 प्रार्थना पत्र बाबत रिलीज किये जाने वाहन BOLERO MAXITRUCK PLUS,1.2 महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा रजि0 नं0 Rj37-GB-3384 आवेदक देवराज पुत्र बलराम निवासी मांदलिया, जिला कोटा

उपस्थितः–

1. श्री राजकुमार रेनीवाल, अभिभाषक – आवेदक प्रार्थी
2. सहा0 लोक अभियोजक –पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक– 05.08.2025

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि यह प्रार्थना पत्र देवराज पुत्र बलराम निवासी मांदलिया जिला कोटा द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त उनवान का एक प्रकरण पुलिस थाना मण्डाना द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी के वाहन **BOLERO MAXITRUCK PLUS 1.2 महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा** रजि0 नं0 **Rj37-GB-3384** को जब्त किया गया है जो इस समय थाना मण्डाना में जब्तशुदा है । प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है जिसको उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेना चाहते है । उक्त वाहन थाना मण्डाना को अनुसंधान में अब आवश्यकता नहीं है । अतः जब्तशुदा वाहन **BOLERO MAXITRUCK PLUS 1.2 महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा** रजि0 नं0 **Rj37-GB-3384** को प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश प्रदान करें ।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । अधीनस्थ पुलिस थाने से तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं केस डायरी प्राप्त की गई । वकील प्रार्थी एवं सहायक लोक अभियोजक उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।
3. वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी के वाहन वाहन **BOLERO MAXITRUCK PLUS 1.2 महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा** रजि0 नं0 **Rj37-GB-3384** को थाना मण्डाना द्वारा जब्त किया गया है जो इस समय थाना मण्डाना में जब्तशुदा है । प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है जिसको उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने का एक मात्र कानूनी अधिकार है । उक्त वाहन थाना मण्डाना में खुले में खडा है जिसके अधिक समय तक खुले में पडे रहने से कबाड़ में बदलने की पूर्ण सम्भावना है प्रार्थी को अपने वाहन की घरेलू एवं अन्य व्यावसायिक कार्यो में अत्यन्त आवश्यकता है । प्रार्थी का वाहन अधिक समय तक पुलिस थाना मण्डाना में खडा रहा तो उसके खराब होने की पूर्ण संभावना है तथा प्रार्थी उक्त वाहन के बिना अपने व्यावसायिक कार्यो को नहीं कर पायेगा जिससे उसके परिवार के भूखों मरने की नोबत आ जायेगी तथा अपने वाहन के बिना काफी परेशानियों एवं दिक्कतों का सामना करना पड रहा है । । अतः जब्तशुदा वाहन ट्रक वाहन **BOLERO MAXITRUCK PLUS 1.2 महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा** रजि0 नं0 **Rj37-GB-3384** की समुचित जमानत ली जाकर प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश प्रदान करें ।

जिला कलक्टर
कोटा

4. पेरोकार सरकार सहा लोक अभियोजन द्वारा अपनी बहस में कथन किया है प्रार्थी को थाना रामगंजमण्डी द्वारा गोवंश से भरे वाहन ट्रक वाहन **BOLERO MAXITRUCK PLUS 1.2 महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा** रजि0 नं0 Rj37-GB-3384 में 09 गोवंश दो बडी गाय जिनकी उम्र 3–4 साल तथा 01 छोटी गाय जिसकी उम्र डेढ साल है तथा 6 बछड़े (बैल) ठूंस ठूंस कर भरे हुए गोपालपुरा दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे के पास नाकाबंदी के दौरान, गोरक्षकों द्वारा सूचना देने पर पकड़ा था, आवेदक प्रार्थी द्वारा गोवंश को क्रूरतापूर्वक भरे हुए होने एवं बिना रवन्ना व परमीट के बेरहमी से क्रूरतापूर्वक गौवंश को निर्दयतापूर्वक गोतस्करी के प्रयोजन से परिवहन करना पाया जाने से धारा 5,6,8 गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 का अपराध पाया जाने पर लोडिंग वाहन, 09 गोवंश सहित से भरा हुआ को जब्त किया गया । प्रार्थीगण के विरूद्व अपराध धारा 5,6,8, राजस्थान गौवंशीय अधिनियम 1995 अधिनियम 1995 का अपराध प्रमाणित पाया गया । प्रकरण में अनुसंधान शेष नहीं है । अधिनियम की धारा 6क के अन्तर्गत वाहन का निटारा करने हेतु सक्षम् प्राधिकारी जिला कलक्टर है ।
5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । थानाधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा गोवंश से भरे वाहन **BOLERO MAXITRUCK PLUS 1.2 महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा** रजि0 नं0 Rj37-GB-3384 में 09 गोवंश ठूंस ठूंस कर भरे हुए गोपालपुरा दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे के पास नाकाबंदी के दौरान पकड़ा था, जो लोडिंग वाहन में क्रूरतापूर्वक भरे हुए थे प्रार्थी वाहन मालिक है, बिना रवन्ना व परमीट के बेरहमी से क्रूरतापूर्वक गौवंश को गोतस्करी के प्रयोजन से परिवहन करना धारा 5,6,8 गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 का अपराध प्रमाणित पाया गया । थानाधिकारी मण्डाना की प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं केश डायरी अनुसार अनुसंधान शेष नहीं है ।
6. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि यदि वाहन सुपुर्दगीदार 3,00,000/– तीन लाख रूपये का जमानतनामा एवं 3,00,000/– तीन लाख रूपये का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत कर दे तो मुल्जिमान के विरूद्व आपराधिक कार्यवाही पर प्रभाव डाले बिना वाहन रिलीज के आदेश सशर्त दिये जाते है । जब भी किसी भी न्यायालय में उक्त वाहन की आवश्यकता होगी तो तुरन्त न्यायालय आदेश की पालना में संम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत करेगा तथा वाहन का विक्रय आदि से खुर्द बुर्द नहीं करेगा । बाद पालना वाहन रिलीज हेतु थानाधिकारी मण्डाना को इस आशय की तहरीर जारी की जावें ।
7. निर्णय आज दिनांक 05.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा